न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 180/2017

दर्ज दिनांक : 27/12/2017

निर्णय दिनांक : 20/03/2018

1. रामलाल पुत्र बोदू
2. रामप्रसाद पुत्र बोदू

जाति माली, निवासीः मालियो की ढाणी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र झूंथाराम
2. रमेश पुत्र झूंथाराम
3. लालाराम पुत्र झूंथाराम
4. रामप्यारी देवी पुत्री स्व. नन्दा

समस्त जातियानः माली, निवासीः मालियो की ढाणी, संग्रामपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

5. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री सीताराम सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री पप्पूलाल सैनी एडवोकेट
श्री रामस्वरूप चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ल. 4
प्रतिवादी सं. 5 की ओर से पैरो0 राज0 उप0।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

निर्णय दिनांकः 20/03/2018

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 149 के आराजी खसरा नंबर 90 रकबा 3 बीघा, 91 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डिडावता व खतौनी संख्या 19 के खसरा नंबर 1/2 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हनुतियाकलां, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात में खतौनी संख्या 149 में खातेदार स्व. नन्दा पुत्र रोडू का 1/3 हिस्सा एवं खतौनी संख्या 19 में खातेदार स्व. नन्दा पुत्र रोडू का सम्पूर्ण हिस्सा है उक्त आराजी नन्दा पुत्र रोडू की खातेदारी भूमि रही है। नन्दा पुत्र रोडू का दिनांक 18.02.2017 को स्वर्गवास हो गया है एवं उक्त आराजीयात का नन्दा पुत्र रोडू ने अपने जीवनकाल में ही अपनी पुत्री की सहमति से ही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में वसीयत कर दी उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी हिस्सेनुसार काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। नन्दा पुत्र रोडू का देहांत दिनांक 18.02.2017 एवं भूरी देवी पत्नि नन्दा का देहांत दिनांक 02.12.2016 को हो गया है। नन्दा पुत्र रोडू ने अपने जीवनकाल में ही अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 14.02.2017 को समक्ष गवाहान एवं अपनी पुत्री रामप्यारी देवी की सहमति से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में 500/— रूपये के स्टाम्प पर सम्पादित कर दी उक्त वसीयत के आधार पर वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा बराबर बराबर का नामान्तकरण खुलवाने के कानूनन अधिकारी है इसलिये वादीगण उक्त आराजी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। स्व. नन्दा पुत्र रोडू व भूरी देवी के जायन्दा पुत्र नहीं है बल्कि जायन्दा पुत्री रामप्यारी देवी है, रामप्यारी देवी के अलावा स्व. नन्दा के अन्य कोई वारिसान नहीं है। नन्दा पुत्र रोडू ने अपने जीवनकाल में ही अपनी पुत्री रामप्यारी की सहमति से इच्छा पत्र दिनांक 14.02.2017 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में तहरीर व तकमील कर दिया स्व. नन्दा व स्व. भूरी देवी का

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

क्रियाकर्म, सेवा सुश्रुषा, मृत्युभोज वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने ही किया है एवं रामप्यारी देवी के मायरा जामणा का सारा खर्चा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने ही वहन किया है एवं उक्त आराजी का वसीयत के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में खातेदारी अधिकार दिया जाकर नामान्तकरण खोला जाना आवश्यक है। उक्त आराजीयात को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 नन्दा के जीवनकाल से ही अपने अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त आराजी बाबत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य नन्दा की पुत्री रामप्यारी देवी की सहमति से ही वसीयत अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त है इसलिये उक्त आराजीयात की खातेदारी अधिकार पाने के वादीगण अधिकारी है। उक्त आराजीयात वर्तमान में नन्दा पुत्र रोडू के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी का प्रतिवादीगण अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर रहन बेचान करने पर आमादा है अगर प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन, बेचान कर दिया तो वादीगण को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पडेगा इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। उक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण स्व. नन्दा के जीवनकाल से ही उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से करीबन 50 वर्षो से शांतिपूर्वक काबिज काश्त होकर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है इसलिए कानूनन वादीगण उक्त आराजी की खातेदारी अधिकारों की राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये अभी हाल में ही नकले ली तो उक्त आराजी में नन्दा पुत्र रोडू के नाम होने की राजस्व अभिलेखों में जानकारी हुई एवं वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपने नाम वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने आश्वासन दिया कि आपका उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है हम अपने पक्ष में दर्ज रिकॉर्ड नाम को हटाकर इन्द्राज दुरूस्त करवाकर आपके नाम लगवा देगे लेकिन प्रतिवादीगण की नियत में जमीनों के भाव बढ जाने से फितुर उत्पन्न हो गया एवं नामान्तकरण खुलवाकर नाम लगवाने से आनाकानी करने लग गये इसलिए वादीगण को उक्त वाद विरूद्व

उपखण्ड अधिकारी, फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रतिवादीगण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 03.12.2017 को उक्त आराजीयात पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि को संभालने गये तो मौके पर प्रतिवादीगण दो तीन अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आये एवं इशारा करके कहने ले कि हमने उक्त जमीन का सौदा कर लिया है एवं उक्त जमीन हमारे नाम लगवायेगे इसलिए उक्त आराजी को बेचान रहन करके तुम्हे कब्जे काश्त से बेदखल करके ही दम लेगे हमने उक्त आराजी का एक महीने पहले ही इकरारनामा करवा दिया है, अब एक दो दिन में विक्रय पत्र तस्दीक करवायेंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो वादीगण को असहनीय हानि होगी व्यर्थ मुकदमेबाजी होगी इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री रामस्वरूप चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया। प्रतिवादी संख्या 5 का जवाब बंद किया गया। वकील वादीगण ने साक्ष्य में रामलाल पुत्र बोदू, रामप्यारी पुत्र नंदा व रामस्वरूप पुत्र झूंथाराम के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये है कि आराजी खतौनी संख्या 149 के आराजी खसरा नंबर 90 रकबा 3 बीघा, 91 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डिडावता व खतौनी संख्या 19 के खसरा नंबर 1/2 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हनुतियाकलां, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात में खतौनी संख्या 149 में खातेदार स्व. नन्दा पुत्र रोडू का 1/3 हिस्सा एवं खतौनी संख्या 19 में खातेदार स्व. नन्दा पुत्र रोडू का सम्पूर्ण हिस्सा है उक्त आराजी नन्दा पुत्र रोडू की खातेदारी भूमि रही है। नन्दा पुत्र रोडू का दिनांक 18.02.2017 को स्वर्गवास हो गया है एवं उक्त आराजीयात का नन्दा पुत्र रोडू ने अपने

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

जीवनकाल में ही अपनी पुत्री की सहमति से ही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में वसीयत कर दी उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी हिस्सेनुसार काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। नन्दा पुत्र रोडू का देहांत दिनांक 18.02.2017 एवं भूरी देवी पत्नि नन्दा का देहांत दिनांक 02.12.2016 को हो गया है। नन्दा पुत्र रोडू ने अपने जीवनकाल में ही अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 14.02.2017 को समक्ष गवाहान एवं अपनी पुत्री रामप्यारी देवी की सहमति से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में 500/– रूपये के स्टाम्प पर सम्पादित कर दी उक्त वसीयत के आधार पर वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा बराबर बराबर का नामान्तकरण खुलवाने के कानूनन अधिकारी है इसलिये वादीगण उक्त आराजी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। स्व. नन्दा पुत्र रोडू व भूरी देवी के जायन्दा पुत्र नहीं है बल्कि जायन्दा पुत्री रामप्यारी देवी है, रामप्यारी देवी के अलावा स्व. नन्दा के अन्य कोई वारिसान नहीं है। नन्दा पुत्र रोडू ने अपने जीवनकाल में ही अपनी पुत्री रामप्यारी की सहमति से इच्छा पत्र दिनांक 14.02.2017 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में तहरीर व तकमील कर दिया स्व. नन्दा व स्व. भूरी देवी का क्रियाकर्म, सेवा सुश्रुषा, मृत्युभोज वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने ही किया है एवं रामप्यारी देवी के मायरा जामणा का सारा खर्चा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने ही वहन किया है एवं उक्त आराजी का वसीयत के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में खातेदारी अधिकार दिया जाकर नामान्तकरण खोला जाना आवश्यक है, मुझ प्रतिवादिया संख्या 4 को कोई आपत्ति नहीं है। मुझ प्रतिवादिया संख्या 4 के अलावा नन्दा के कोई वारिसान नहीं है, मैं मेरी सहमति से मेरे पिता के जीवनकाल में ही मेरे पिता के भाई बोदू व झूंथाराम के लडकों के नाम वसीयत करवाई है जो सही है। वसीयत के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के वाद डिक्री किया जावे मुझ प्रतिवादिया संख्या 4 का कोई आपत्ति नहीं है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। वादीगण का वाद मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

राजीनामा डिक्री फरमाया जावे हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व मुझ प्रतिवादीया संख्या 4 को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, वसीयत दिनांक 14.02.2017, राजीनामा, शपथ पत्र रामलाल पुत्र बोदू, रामप्यारी पुत्र नंदा व रामस्वरूप पुत्र झूंथाराम इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 4 सहखातेदार काश्तकार है।

चूंकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादी के वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 90 रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 91 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डिडावता एवं खसरा नंबर 1/2 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा ग्राम हनुतियाकलां, तहसील फागी जिला जयपुर की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 4 के दर्ज हिस्से में से वादीगण को 1/2 हिस्सें का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/2 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान
रामलाल व अन्य
बनाम
रामस्वरूप व अन्य

:– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा :–

मुकदमा नं0 –180/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 90 रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 91 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डिडावता एवं खसरा नंबर 1/2 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा ग्राम हनुतियाकलां, तहसील फागी जिला जयपुर की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 4 के दर्ज हिस्से में से वादीगण को 1/2 हिस्सें का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/2 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षक़ारान अपना–अपना स्वयं वहन करें।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/03/2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा...फागी (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर	NIL		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)